

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 में निर्धारित राजभाषा सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है:

In order to ensure continued progress in the implementation of the Official Language Policy and the progressive use of Hindi in the Ministries/Departments/Subordinate Offices of the Central Government, compliance with the provisions relating to the Official Language as prescribed under the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976 is mandatory. The following instructions are reiterated for strict compliance:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज (जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं (परिपत्र), प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, संविदाएं, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस तथा प्रेस विज्ञप्तियां) द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी रूपांतरण अंग्रेजी रूपांतरण के ऊपर/पहले रहे (गृह मंत्रालय के संलग्न अ.शा.पत्र का संदर्भ लें)।

प्रसंगवश विदित हो कि वार्षिक कार्यक्रम -2026-27 में उल्लिखित है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के अधीन जारी निदेशों के समुचित अनुपालन का दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होता है।

All documents required to be issued under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, (such as resolutions, general orders, rules, notifications(circulars), administrative and other reports, contracts, licences, permits, tender forms, notices and press releases) shall invariably be issued in bilingual form. While issuing such documents, it shall be ensured that the Hindi version is placed above or precedes the English version. Reference may be made to the enclosed Office Memorandum of the Ministry of Home Affairs in this regard.

It is pertinent to mention that the Annual Programme 2026-27 stipulates that, in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976, the responsibility for ensuring proper compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963, the Official Languages Rules, 1976, and the instructions issued thereunder rests with the Administrative Head of the Office (copy enclosed).

2. वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यानुसार 'क' क्षेत्र से 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्र में क्रमशः 100%, 100% व 70 % हिन्दी में मूल पत्राचार किया जाएं तथा 'क' क्षेत्र में न्यूनतम 80

% टिप्पण हिन्दी में किया जाए।

In accordance with the targets prescribed under the Annual Programme, original correspondence in Hindi shall be undertaken from Region 'A' to Regions 'A', 'B' and 'C' to the extent of 100 per cent, 100 per cent and 70 per cent respectively. Further, a minimum of 80 per cent of noting work in offices located in Region 'A' shall be carried out in Hindi.

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जाएं तथा जिन पत्रों के उत्तर भेजने अपेक्षित न हो उन्हें पावती अवश्य ही प्रेषित करें।

As per Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, all communications received in Hindi in Central Government offices shall invariably be replied to in Hindi. Replies to communications received in English should also be issued in Hindi. Further, in cases where no detailed reply is required, an acknowledgement shall invariably be sent.

संज्ञान में आया है कि कतिपय अनुभागों द्वारा उक्त नियमों, विशेषतः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पालन नहीं किया जा रहा है, कृपया राजभाषा सम्बन्धी नियमों/आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

It has come to notice that certain Sections are not complying with the aforesaid provisions, particularly those contained in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963. All concerned are, therefore, requested to ensure strict compliance with the Official Language provisions, rules and instructions issued from time to time, in letter and spirit.

क्र.सं।/1489798/2026

24-06-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, उप महालेखाकार (प्रशासन)
3. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ए.एम .जी.-I)
4. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ए.एम .जी.-II)
5. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ए.एम .जी.-III)
6. कल्याण अधिकारी
7. मुख्यालय में तैनात सभी शाखा अधिकारी

सहायक निदेशक (राजभाषा)